मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) के परन्तुक में, शब्द "और अपीली प्राधिकारी छह कलैंडर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, शब्द "चौबीस कलैंडर मास" के स्थान पर, शब्द "अड़तालीस कलैंडर मास" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (९) में, शब्द "चौबीस कलैंडर मास" के स्थान पर, शब्द "अड़तालीस कलैंडर मास" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपीली प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की कमी के कारण लंबित अपीलों का समय-सीमा में निराकरण करना कठिन है. अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१८

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण

* * * * *

धारा ४६ : (५) परन्तु यदि किसी व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई रकम के साथ-साथ, शेष रकम के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम का भुगतान किया जाता है, तो अपीली प्राधिकारी अतिशेष की वसूली रोक देगा और अपीली प्राधिकारी छह कलैण्डर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा.

(८) (क) अपीलीय प्राधिकारी, अपील का निपटारा ऐसी अपील फाईल करने की तारीख से चौबीस केलेण्डर मास के भीतर करेगा, तथा ऐसी अपील का निपटारा करने में, अपीलीय प्राधिकारी,—

. . . . . .

. . . . . .

(९) उपधारा (८) के खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अपील का निपटारा, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा चौबीस केलेन्डर मास के भीतर नहीं किया जा सकता हो, वहाँ राज्य सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा, ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कालावधि को ऐसी कालावधि तक बढ़ा सकेगी, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए.

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.